एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-3513/1999

12.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री आर.पी.कुलदीप, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

श्री वैभव कासलीवाल, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्ष।

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता श्री कासलीवाल ने न्यायालय के अनुशीलनार्थ राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के कर खण्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.3.2005 की प्रति प्रस्तुत की जिसकी क्लॉज संख्य-2 निम्न प्रकार है-

"That in case where any residential land and buildings or both has already been assessed and liability is due upto 2002-2003 is here by exempted from tax,interest and penalty, retrospectively from the date of liability to 2002-2003 or for some of the years, if any, for which the tex has not been paid."

उपरोक्त परिपत्र के दृष्टिगत यह रिट याचिका प्रभावशून्य हो चुकी है। अत: निरस्त की जाती है।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)